बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०–17/ए1–59/2019– 1359/17) पटना, दिनांक :–13/10/2026

राज्य के पटना दत महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना मे प्राध्यापक, रीडर एव व्याख्याता के पद पर सविदागत नियोजन हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन सख्या–13/2019 प्रकशित की गयी थी। उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत रीडर, Operative/Conservative Dentistry विभाग के पद हेतु डा० पिकी सिंह योग्य पायी गयी थी, परन्तु डा० पिकी सिह के अनुभव प्रमाण पत्र पर विवाद होने एव इस हेतु डा० पिकी सिह के विरूद्ध श्री मनीष कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद के आलोक मे डा० पिकी सिह की सविदागत नियोजन/पदस्थापन की कार्रवाई नही की जा सकी है। इस हेतु डा० पिंकी सिह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे समादेश याचिका संख्या–16537/2023 दायर की गयी है, जिसमें दिनाक–29 09.2026 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है –

Learned counsel for the petitioner submits that the with a view to fulfill the grievance, the petitioner has filed representation vide Annexure-P/5 of the writ petition, but when no decision has been taken on the same, then the petitioner has moved before this Hon'ble Court.

Learned counsel for the State, on the other hand, submits that a direction may be given to the authority concerned to take decision on the petitioner's representation.

Upon hearing the parties, this Court finds that till date, no counter-affidavit has been filed. As such, without entering into merit or demerit of this case, this Court hereby directs to the Secretary, Department of Health, Government of Bihar (respondent No.2) to take decision on the petitioner's representation (Annexure-P/5) within 60 days from the date of production of this order.

With the aforesaid directions and observations, the present writ application stands disposed off.

2. डा० पिकी सिह का अनुभव प्रमाण पत्र जो नारायण मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, जमुहार, सासाराम द्वारा निर्गत है की जॉच हेतु विभागीय पत्राक–02(17) दिनाक–03.01 2023 द्वारा जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा प्रतिवेदित है कि –

(i) डा० पिकी सिंह दिनाक–01 08 2016 से दिनाक–31 07 2017 तक की अवधि मे नारायण मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जमुहार, सासाराम मे सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थी। ऐसा उपस्थिति पजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है, जबकि उपस्थिति पजी पर विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/अधीक्षक का हस्ताक्षर नही है।

(ii) डा० पिकी सिह का सीनियर रेजिडेन्ट का अनुभव प्रमाण पत्र सस्थान द्वारा दिनाक–29 08 2016 से 07 04 2017 तक की अवधि का निर्गत है, यह असम्भव प्रतीत होता है, क्योकि इस अवधि के दौरान डा० सिह इसी सस्थान मे सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थी। अनुभव प्रमाण पत्र पर प्राचार्य के स्थान पर फॉर करके हस्ताक्षर किसी अन्य के द्वारा किया गया है, जिसके सबध मे प्राचार्य के द्वारा कहा गया है कि मै इस हस्ताक्षर को नही पहचानता हूँ।

(iii) सस्थान द्वारा डा० पिकी सिह को अगस्त, 2016 से जुलाई, 2017 तक की अवधि मे वेतन का भुगतान सहायक प्राध्यापक के पद का किया गया है, जबकि दिनाक–19.08.2016 से 07 04 2017 तक की अवधि का सीनियर रेजिडेन्ट के पद का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

(iv) सस्थान द्वारा जॉच समिति को बर्हिवासी रजिस्टर भी उपलब्ध नही कराया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि अपनी उपस्थिति के दौरान डा० पिकी सिह द्वारा किसी भी प्रकार का चिकित्सीय कार्य नही किया गया है।

3. उपर्युक्त तथ्यो के आधार पर जॉच समिति द्वारा डा० पिकी सिह का कार्यानुभव प्रमाण पत्र संदिग्ध प्रतीत होता है का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, क्योकि सस्थान के प्रशासनिक प्रमुख प्राचार्य होते है, जिनके द्वारा डा० पिकी सिह के कार्यानुभव प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित नही करने की सूचंना जॉच समिति को दी गयी है।

4. विभागीय पत्रांक–984(17) दिनाक–07 08.2026 द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे डा० पिंकी सिंह से उनकी अभ्यर्थिता क्यो नहीं रद्द कर दी जाये, के संबंध में प्रतिवेदन एक पक्ष के अदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में डा० पिकी सिह द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, परन्तु जॉच समिति के प्रतिवेदन में उनके कार्यानुभव प्रमाण पत्र को संदिग्ध पाये जाने के सबंध में डा० पिंकी सिह द्वारा कुछ नहीं कहा गया।

5. पुन विभागीय पत्रांक–1150(17) दिनाक–10 09 2026 द्वारा डा० पिंकी सिह को एक और अवसर प्रदान करते हुए जॉच समिति के प्रतिवेदन में उनके कार्यानुभव प्रमाण पत्र को संदिग्ध प्रतिवेदित किये जाने के संबंध में अपना स्पष्ट पक्ष (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में जॉच समिति द्वारा प्रतिवेदित उक्त बिन्दुओं के सबंध में कोई सतोषजनक जवाब/साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है।

6. अत उपर्युक्त तथ्यो एवं जॉच समिति के प्रतिवेदन तथा डा० पिंकी सिह के द्वारा अपने पक्ष मे कोई सतोषजनक जवाब/साक्ष्य उपलब्ध नही कराये जाने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त डा० पिंकी सिंह के द्वारा दिनाक–21 10.2022 को विभाग मे समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही डा० पिकी सिह का रीडर, Operative/Conservative Dentistry विभाग, पटना दत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पद पर सविदागत नियोजन हेतु अभ्यर्थिता रद्द की जाती है।

7. उक्त मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–
सयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–17/ए1–59/2019 – 1359(17) पटना, दिनांक :–13/10/2026

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, पटना दत महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० पिंकी सिह, पुत्री–स्व० पारस नाथ सिंह, पत्राचार का पता–ए/301, राजनाथ सिह रेसिडेन्सी, तिलकनगर, रूकुनपुरा, बेली रोड, पटना, पिन न०–800014, ई–मेल–drpinky.pmch@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/10/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–
सयुक्त सचिव।